



सेवा में,

1. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

विषय :- प्रदेश की पाठशालाओं में “मध्याह्न भोजन योजना” के अन्तर्गत हरित कचरा (Green Waste) के उपयुक्त निपटारे बारे दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित ही है कि प्रदेश की 15,504 पाठशालाओं में कक्षा पहली से आठवी तक शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बच्चों को पाठशाला कार्यदिवस पर पाठशाला में ही दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। उक्त योजना को पाठशालाओं में कार्यान्वित करने हेतु पाठशाला प्रबन्धन समिति द्वारा प्रत्येक पाठशाला में बच्चों की संख्या के आधार पर 21,753 मिड डे मील वर्करज (CCH's) लगाये गये हैं। जिन्हें सरकार द्वारा वर्तमान में मु0 2000/- रुपये प्रतिमाह (दस माह हेतु) मानदेय दिया जाता है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सरकारी पाठशालाओं में कक्षा पहली से आठवी तक शिक्षा ग्रहण कर रहे 5,08,012 बच्चे प्रतिदिन प्रति पाठशाला दिवस लाभान्वित हो रहे हैं।

इस सन्दर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 606/2018 में दिनांक 16-01-2019 को पारित ओदश की अनुपालना की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 22-02-2019 को आयोजित प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार आपसे अनुरोध है कि आप अपने-अपने जिला एवं खण्ड के अन्तर्गत सभी पाठशालाओं को यह निर्देश जारी करें कि प्रत्येक पाठशाला के मिड डे मील टिचर इंचार्ज / मिड डे मील वर्करज तथा पाठशाला प्रबन्धन समिति प्रत्येक पाठशाला में यह सुनिश्चित करें कि “मध्याह्न भोजन योजना” के अन्तर्गत पाठशाला स्तर पर हरित कचरे (Green Waste) के उपयुक्त निपटारे हेतु प्रत्येक पाठशाला में पाठशाला प्रबन्धन समिति की सहायता से पाठशाला के आसपास एक छोटा गढा बनायें तथा प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना से सम्बन्धित हरित कचरे (Green Waste) जैसे कि सब्जी / फलों के छिलके, बचे हुए भोजन तथा अन्य सम्बन्धित हरित कचरे को उस गढे में ही डाले तथा उस गढे को ढक कर भी रखें। कुछ समय पश्चात गढे में एकत्रित हरित कचरा खाद के रूप में परिवर्तित होने के उपरान्त उस खाद का उपयोग पाठशाला में बने किचन गार्डन में करें, जिसके फलस्वरूप जहां पर एक तरफ पाठशाला स्तर पर हरित कचरे का उपयुक्त निपटारा होगा वहीं दूसरी तरफ पाठशाला के इर्द गिर्द साफ, सुथरा एवं स्वच्छ वातावरण भी रहेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उक्त दिशा निर्देशों को सभी पाठशालाओं में उपलब्ध करवाएं तथा इसका कार्यपालन सुनिश्चित करें।

हितेश आजाद ( हि0प्र0 से0 )  
संयुक्त निदेशक प्रा0शि0निदेशालय (प्र0)  
हिमाचल प्रदेश 171001

पृष्ठांकन संख्या : सम दिनांक शिमला - 171001 8<sup>th</sup> अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रधान सचिव ( शिक्षा ) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला- 171002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सदस्य सचिव हि0प्र0 राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड हिम परिवेश फेज न0-111 न्यू शिमला -171009 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निदेशक उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला -171001 को सूचनार्थ एंवम् आगामी आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है।
4. रक्षक नास्ति।

हितेश आजाद ( हि0प्र0 से0 )  
संयुक्त निदेशक प्रा0शि0निदेशालय (प्र0)  
हिमाचल प्रदेश 171001

911  
915  
18/04/19

ENDST NO:- EDN-4(G-2)MDM/- 1476

070 By Director Elem, Edu

Una, distt. Una (H.P.) 23/04/19

Copy is being forwarded to All the BEEs/Principal  
Headmaster in Una distt regarding Appropriate  
disposal of green waste guidelines. Its for  
your information and necessary action please.

*Sandhu* 23/4/19

Deputy Director of Elementary  
Education Una, Distt. Una (H.P.)

11/19/19